

From- Dr. Anamika Chauhan-I
Special Judge (E.C. Act),
Gonda.

To,
The Registrar General
The High Court of Judicature at Allahabad,
Allahabad.

Through- The District Judge,
Gonda.

Subject- Computation of the previous service rendered on the post of Auditor Co-operative Societies and Panchayats in the Uttar Pradesh Government from 19.03.2005 to 15.06.2006 with the present service in U.P. High Judicial Services for pensionary benefits.

Hon'ble Sir,

Most respectfully this is to submit that in compliance to Hon'ble Court's letter no. 14457/IV-3174/Admin.(A) dated November 6, 2023, Hon'ble Court is directed undersigned to furnish relevant information regarding previous service on the prescribed proforma, provided in G.O. no. 17/2019/Sa-3-346/X-2019-933 dated 30.04.2019.

Most humbly it is submitted that the relevant information in the prescribed proforma provided in G.O. no. 17/2019/Sa-3-346/X-2019-933 is hereby being submitted along with the Government Order (G.O.) no. 3-1671/10-2010-301(09)/2003 T.C. regarding the computation of service rendered prior to 01.04.2005 and pensionary benefits. It is submitted that the service books of undersigned are already submitted to Hon'ble Court vide letter no. 2145/I-26-14 dated 01.12.2016. Other relevant papers photocopy are hereby attached for ready reference.


It is therefore most humbly requested that the Hon'ble Court may kindly be moved in the matter. It is humbly requested that my aforesaid previous service of one year and 3 months under the State Government as Auditor, Co-operative Societies and Panchayats Agra, from 19.03.2005 to 15.06.2006 may kindly be computed towards pensionary benefits admissible under the relevant Government Order.

With due Regards


Dated : 29.11.2023

No. 3255.....Date 29.11.2023

FORWARDED


District Judge, Gonda
29-11-2023

Yours Faithfully


(Dr. Anamika Chauhan-I)
Special Judge(E.C. Act),
Gonda.

Annexure:

1. Filled prescribed proforma, provided in G.O. no. 17/2019/Sa-3-346/X-2019-933.
2. Photo Copy of G.O. No. 3-1671/10-2010-301(09)/2003 T.C.
3. Photo Copy of Permission to appear in the Interview.
4. Photo Copy of Relieving Order of District Audit Officer, Co-operative Societies and Panchayats, Agra
5. Copy of letter no. 1719/I-26-14 dated 30.09.2016.

आदेश संख्या 17/2019/सा-3-346/दस-2019-933/89 दिनांक: 30 अप्रैल का संलग्नक

वर्तमान सेवा का विवरण

(1) कर्मचारी का नाम	अनामिका चौहान
(2) पदनाम व वेतनमान	अपर जिला जज(1,44,840-1,94,660)
(3) कार्यालय/विभाग	न्याय विभाग
(4) जन्मतिथि	18.07.1975
(5) कार्याभार ग्रहण करने की तिथि	16.06.2006
(6) नियुक्ति प्राधिकारी	राज्यपाल, उत्तर प्रदेश
(7) नियुक्ति पत्र की संख्या एवं दिनांक	U.P.Govt. No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-I Lucknow Dated 26-05-2006
(8) अधिवर्षता की तिथि	31.07.2035
2- पूर्व सेवा का विवरण	
(9) कर्मचारी का नाम	अनामिका चौहान
(10) पदनाम व वेतनमान	लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां एवं पंचायत उ०प्र०, (4000-100-6000 पुनरीक्षित वेतनमान-4500-127-7000)
(11) कार्यालय/विभाग का नाम	लेखा विभाग, सहकारी समितियां एवं पंचायत उ०प्र०
(12) नियुक्ति प्राधिकारी	मुख्य लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां एवं पंचायत उ०प्र०
(13) कार्याभार ग्रहण करने की तिथि	19.03.2005
(14) कार्याभार छोड़ने की तिथि	15.06.2006
(15) क्या पूर्व की सेवायें पेंशनेबल थी	जी हां।
(16) क्या पूर्व में तदर्थ/कार्यप्रभारित/सविदा/सीजनल/नियत वेतन पर सेवा की गयी? यदि हां, तो विवरण दिया जायें।	नहीं।
(17) क्या पूर्व सेवाओं में अवैतनिक अवकाश लिया गया था? यदि हां, तो विवरण दिया जाये।	नहीं।
(18) क्या दो सेवाओं के मध्य व्यवधान रहा है? यदि हां, तो-	नहीं।
(I) व्यवधानों की अवधि तिथि सहित।	N/A
(II) व्यवधान का कारण	N/A
(III) क्या व्यवधान का मर्षण प्रस्तावित है?	N/A
(19) क्या पूर्व सेवा में ब्रेक-इन-सर्विस रही है? यदि हां, तो तत्संबंधी आदेश संलग्न किया जाये।	नहीं।
(20) क्या दण्ड स्वरूप किसी सेवा अवधि को ड्यूटी पर नहीं माना गया है? यदि हां, तो अवधि इंगित की जाये तथा तत्संबंधी आदेश संलग्न किया जाये।	नहीं।
(21) सत्यापित सेवा पुस्तिका संलग्न की जाये।	पूर्व प्रेषित पत्र पत्रांक संख्या-1719/1-26-14 दिनांक 30.09.2016 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-16436/IV-3174/Admin.(A) दिनांकित 15 th नवम्बर 2016 के द्वारा याचित किये जाने पर पत्र पत्रांक 2145/1-26-14 दिनांकित 01.12.2016 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित।
3- विभाग की संस्तुति	

No. 3255.....Date 29.11.2023

FORWARDED

District Judge, Gonda
29-11-2023

हस्ताक्षर.....

Anusha
28/11/23

जोड़े जाने विषयक संगत नियम एवं शासनादेशों की संदर्भ सूची-

30 प्र0 सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद-	
अनुच्छेद- 361	अर्हकारी सेवा की शर्तें
अनुच्छेद- 368	अर्हकारी सेवा हेतु मौलिक नियुक्ति की अनिवार्यता
अनुच्छेद- 370	कार्यप्रभारित अधिष्ठान, कन्टिन्जेन्सी से भुगतानित सेवाओं एवं नॉन पेंशनेबल अधिष्ठान की सेवाओं को अर्हकारी सेवाओं में न जोड़ा जाना
(4) अनुच्छेद- 422	सेवाओं में व्यवधानों का मर्षण
2- शासनादेश संख्या व दिनांक	
(1) सा-3-1152 / दस-915-89 दिनांक 01.07.1989	अस्थायी सेवा को अर्हकारी सेवा के रूप में आगणित किया जाना
(2) सा-3-1713 / दस-87-933 / 89 दिनांक 28.07.1989	सामान्य दिशा निर्देश
(3) सा-3-728 / दस-98-901-98 दिनांक 10.07.1998	राज्य सरकार की सेवा से स्वायत्त निकाय की सेवा में संविलीन होने वाले कार्मिकों अथवा स्वायत्त निकाय से राज्य सरकार की सेवा में संविलीन होने वाले कार्मिकों के प्रकरण
(4) सा-3-1984 / दस-2001-901-98 दिनांक 28.12.2001	सार्वजनिक उपकर्मों / निगमों की सेवाओं को राजकीय सेवाओं के साथ न जोड़ा जाना।
(5) सा-3-950 / दस-2006-901 / 98 दिनांक 20.07.2006	राज्य सरकार से सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में की गयी सेवा को राजकीय सेवा के साथ जोड़ा जाना।